प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 फरवरी, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री इतवारी, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री इतवारी, निवासी-शंकरपुर, थाना-जैतीपुर, जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। दिनांक 13.08.2008 को घर के बाहर दरवाजे पर पानी निकालने को लेकर हुए विवाद के कारण 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सुबह सात बजे सरकारी नल पर पानी भरते समय भगवानदास नामक व्यक्ति की छुरी मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1153/08 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-27, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 15.12.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपराध सीमित समाज की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर प्रतीत होने, पुनः अपराध करने से अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 13.08.2008 को घर के बाहर दरवाजे पर पानी निकालने को लेकर हुए विवाद के कारण 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सुबह सात बजे सरकारी नल पर पानी भरते समय भगवानदास नामक व्यक्ति की छुरी मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामप्रसाद पुत्र श्री इतवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद (बन्दी संख्या-465/2018) पुत्र श्री इतवारी, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-192/2025/2485(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-192/2025/2485/22-2-2023-17(867)/2023

दिनांक 25 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री इतवारी, निवासी-शंकरपुर, थाना-जैतीपुर, जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। दिनांक 13.08.2008 को घर के बाहर दरवाजे पर पानी निकालने को लेकर हुए विवाद के कारण 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सुबह सात बजे सरकारी नल पर पानी भरते समय भगवानदास नामक व्यक्ति की छुरी मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1153/08 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-27, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 15.12.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपराध सीमित समाज की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर प्रतीत होने, पुनः अपराध करने से अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 13.08.2008 को घर के बाहर दरवाजे पर पानी निकालने को लेकर हुए विवाद के कारण 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सुबह सात बजे सरकारी नल पर पानी भरते समय भगवानदास नामक व्यक्ति की छुरी मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामप्रसाद पुत्र श्री इतवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in